न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2023(GCMS 2023/11)
(आरटीआई संख्या 212905164216472)

श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट, हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ने प्रार्थी डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी की द्वितीय अपील संख्या 101814/2019 में दिनांक 19.11.2022 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील इस कार्यालय को रिमाण्ड की है। प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय की पूर्व पत्रावली संख्या 01/2019 जिला अभिलेखागार से तलब की गई। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी तलब किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है :

अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह ने अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2018 प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगरपरिषद् से सम्बन्धित होने के कारण, अति. जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 761 दिनांक 22.11.2018 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित किया था। आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अति. जिला कलक्टर (शहर),

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 81/16.01.2019 से अपीलार्थी की मूल अपील आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित कर, इस न्यायालय को सूचित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2019 राजेन्द्र सिंह भाटी बनाम अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर में दिनांक 13.11.2019 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया था :

> राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकरण, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र एवं प्रथम अपील आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें प्रेषित किया जा चुका है। इसलिए राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकरण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपील खारिज किये जाने योग्य है।
>
> चूंकि राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुसार प्रार्थी की सूचनओं का सम्बन्ध आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नगरपरिषद् द्वारा सूचनओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। इसलिए **अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है एवं अपीलार्थी, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।**
>
> यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील संख्या 101814/2019 प्रस्तुत की हुई जिसमें माननीय राजस्थान राज्य सूचना [illegible] जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2022 के पैरा संख्या 8 में [illegible] करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रकरण में नगर निगम द्वारा दिनांक 22.09.2020 खोज पत्र के पश्चात कोई कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती। प्रथम अपील दिनांक 17.12.2018 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में भी पारित निर्णय पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इन हालातों के मध्येनजर इस प्रकरण को पुनः **प्रथम अपील अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि पुनः विधिवत् सुनवाई करके निर्णय पारित करवायें। अपील निस्तारित करना समीचीन है।**

माननीय राज्य सूचना आयोग, जयपुर से प्रकरण प्राप्त होने पर, उभयपक्ष को तलब किया गया। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित नहीं हुआ। आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 556 दिनांक 13.07.2024 (प्रप्ति दिनांक 25.09.2024) से अपील का जवाब निम्ननुसार प्रेषित किया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त मामले में श्रीमानजी से स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें तारीख पेशी 16.07.2024 निर्धारित की गई है। श्रीमान्जी उक्मत मामले में अपीलार्थी को व सूचना आयोग, जयपुर को पत्र क्रमांक निर्माण/नपग/2019/883 दिनांक 15.05.2019 व भूमि शाखा के पत्र क्रमांक 1266—67 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा जवाब भिजवा दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न करते हुए श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज करने की कृपा करें।

संलग्न : जवाब की प्रति।

-sd-
आयुक्त
नगर परिषद्, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **आयुक्त, नगरपरिषद, श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए आयुक्त, नगरपरिषद, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध हो तो अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर, अति.** को पालनार्थ एवं अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति इस न्यायालय की पूर्व पत्रावली में शामिल होकर, जिला अभिलेखागार में पुनः जमा हो। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested